परिशिष्ट का प्रपत्र - 1
[28/7/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 604]

विधानसभा सत्र जुलाई - 2025 तारांकित प्रश्न क्रमांक - 604
के प्रश्नांश "ख" की जानकारी
माननीय सदस्य - श्री विष्णु खत्री   सदन में उत्तर देने का दि. 28.7.2.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

(98)

(rcs.audit@mp.gov.in, Phone 0755-2557052)

क्र./साखविधि/2023/1265   भोपाल, दिनांक 02.05.2023

प्रति,

1. उप/सहायक पंजीयक
   सहकारी संस्थायें,
   समस्त जिला, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,
   (समस्त) म.प्र.।

विषय— प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

संदर्भ— विभागीय मुख्यालय का पत्र क./साख/विधि/2023/14, दिनांक 03.01.2023 एवं पत्र क./साख/विधि/2023/940, दिनांक 27.03.2023.

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित मुख्यालयीन पत्रों का अवलोकन करें, जिससे प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु मापदण्डों के निर्देश जारी किये गये थे। विभिन्न जिला स्तर एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पूर्व जारी मापदण्ड जिसमें —

प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के गठन हेतु न्यूनतम ऋण व्यवसाय रू. 03 करोड़, न्यूनतम 10 किमी का परीधि का कार्यक्षेत्र, 5000 हेक्टेयर कृषि रकबा तथा 1000 सदस्य संख्या नियत की गई है।

उपरोक्त मापदण्डों में नवीन प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु यह भी सुझाव दिया गया था कि जिला स्तर पर समीपवर्ती 02 या 03 कार्यक्षेत्र मिलाकर नवीन पैक्स पुनर्गठन की कार्यवाही करें।

उक्त दर्शित मापदण्डों की पूर्ति के साथ नवीन पैक्स पुनर्गठन की कार्यवाही में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु निम्न निर्देश जारी किये जा रहे है :—

मापदण्ड ऋण व्यवसाय रू. 03 करोड़, 1000 सदस्य संख्या की पूर्ति हेतु 03 वर्ष में पूर्ण करने की शर्त के साथ नवीन पैक्स पुनर्गठित किये जाये, जबकि अन्य शर्त 5000 हेक्टेयर कृषि रकबा तथा 10 किमी का परीधि का कार्यक्षेत्र फिलहाल नवीन पैक्स के गठन हेतु स्थगित रखी जाती है।

अतः सुझाये गये नवीन मापदण्ड के अनुरूप कार्यवाही के पूर्व यथा संभव विभागीय मूल परिपत्र दिनांक 03.01.2023 के पालन करते हेतु पैक्स का पुनर्गठन अनुसार पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करें।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रम के अनुरूप इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान 4536 पैक्स को पुर्नगठित कर 10,000 पैक्स का राज्य में गठन किया जाना है। जिसका पालन विधिनुरूप समस्त विभागीय जिला अधिकारी सुनिश्चित करें तथा निर्धारित प्रपत्र में मुख्यालय को अद्यतन जानकारी से अवगत कराये।

(हस्ताक्षर)

(आलोक कुमार सिंह)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्र./साखविधि/2023/1265   भोपाल, दिनांक 02.05.2023

प्रतिलिपि—

1. कलेक्टर, समस्त जिला, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश।

(हस्ताक्षर) 2/5/2023

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट का प्रपत्र - 2

विधानसभा सत्र जुलाई - 2025 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 604 के प्रश्नांश "ग" की जानकारी

माननीय सदस्य - श्री विष्णु खत्री　　　सदन मे उत्तर देने का दिनांक - 28.7.2025

भोपाल को–ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. भोपाल

बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं 604 की ~~[illegible]~~ जानकारी

क्रं	पैक्स का नाम जिनमें पुनर्गठन होना है	क्रं	पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित नवीन पैक्स का नाम	उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा नवीन पैक्स के पंजीयन एवं गठन हेतु जारी आदेश की स्थिति
1	अरवलिया		—	—
2	कुठार	1	निपानिया जाट	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3	परवलिया सडक	2	तारासेवनिया	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4	रायपुर		—	—
5	गोंदरमउ		ग्राम मनीखेडी संस्था परवलिया सडक से स्थानांतरित होगा	आदेश जारी
6	ललरिया	3	दामखेड़ा	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
7	सोहाया	4	जमूसरकलां	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
8	पीपलखेडी (मुख्या. अर्रावती)	5	बरखेडा बरामद	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
9	बवचिया	6	धतुरिया	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
10	डुंगरिया (कुल्होर)	7	मेगराकलां	आदेश जारी
11	ललोई	8	रमपुरा	आदेश जारी
12	बैरसिया	9	चाटाहेडी	आदेश जारी
		10	तरावलीकलां	आदेश जारी
13	दिल्लौद	11	हर्राखेडा	आदेश जारी
14	गुनगा	12	कुटकीपुरा	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
15	रतुआ रतनपुर		—	—
16	धमर्रा		—	—
17	बागसी	13	रूनाहा	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
		14	परसोरा	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
18	नजीराबाद	15	बहरावल	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
		16	खाताखेडी	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
		17	सिंधौडा	आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
19	नायसमंद	18	बीलखो	आदेश जारी
20	गढाकलां		—	—

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

R. Jugo
प्र. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग